कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग

कक्ष क्रमांक–140, 141 न्यू कम्पोजिट बिल्डिंग

जिला–मुंगेली (छ.ग.)

E-Mail: dpsw.mungeli@gmail.com

//जब्ती वाहनों के नीलामी हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण//

क्रमांक/स0क0/नीलामी/2020–21/1298 मुंगेली, दिनांक–12/10/2020

वित्तीय अधिकार पुस्तिका 1995 खण्ड–दो सरल क्रमांक– 25 में प्रदत्त प्राधिकार के तहत 02 वाहनों का विक्रय निविदा (सील्ड टेण्डर ऑफर) के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक क्रेता दिनांक 27.10.2020 दिन– मंगलवार को समय 1.00 बजे तक उप संचालक समाज कल्याण विभाग, कलेक्टर परिसर मुंगेली के कक्ष क्रमांक 140, 141 में बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन सायंकाल 4.00 बजे कक्ष क्रमांक 140 में निविदा खोली जावेगी। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

वाहनों के संबंध जानकारी निम्नानुसार है–

Vehicle Name & Detail	Vehicle Reg. No.	Engine No.	Chassis No.	Year Of Manufacture	Upset Value
Pick Up	**CG28E6577**	**CGH018339P**	**MB1AA22E7GRC29511**	**2017**	**350000.00**
Atul Auto	**CG04MB0962**	**A7J1126397**	**MCG27CADKJ1781357**	**2017**	**150000.00**

वाहन की नीलामी की शर्ते एवं हिदायतें :–

14. निविदा सीलबंद लिफाफे में ''उप संचालक, समाज कल्याण विभाग'' को संबोधित कर भेजी जावेगी। लिफाफे के ऊपर ''वाहन क्रमांक CG28E6577 एवं CG04MB0962 हेतु निविदा'' अंकित करना होगा तथा निविदाकार का आधार कार्ड एवं पेन कार्ड होना अनिवार्य होगा।
15. निविदाकार को पिकअप वाहन हेतु रूपये 35,000/– (रूपये पैतीस हजार मात्र) एवं अतुल ऑटो रिक्शा हेतु 15000/– (रूपये पंद्रह हजार मात्र) निविदा जमा करने के पूर्व जिला कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग में श्री सुशीलधर दीवान, सहायक ग्रेड–2 के पास अमानत राशि जमा कर रसीद प्राप्त करना आवश्यक है।
16. उपरोक्त दोनो वाहन कलेक्टर कम्पोजिट बिल्डिंग परिसर (पार्किंग) में है, जिनका अवलोकन कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है।
17. वाहनों की शासकीय अपसेट, (मुल्यांकन राशि) कीमत प्राप्त न होने पर टेण्डर निरस्त किया जावेगा।
18. वाहन की अपसेट प्राइज/वेल्यू नीलामी की जा रही वाहन की सरकारी निविदा होगी, उससे अधिक का दर आने पर उच्चतम निविदाकार को क्रेता घोषित माना जा सकता है।
19. न्यूनतम तीन निविदा प्राप्त होने पर वाहन की नीलामी की जावेगी। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते है।
20. अंतिम एवं उच्चतम निविदा स्वीकार करने अथवा न स्वीकारने का पूर्ण अधिकार उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला–मुंगेली को होगा।

Scanned with CamScanner

21. प्रथम उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के बाद 15 दिवस के भीतर निविदाकार को संपूर्ण राशि अनिवार्यतः नगद जमा कर वाहन जहां पर जैसी हालत में है वहीं से उठाना होगा।
22. प्रथम निविदादाता 15 दिवस के भीतर संपूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल रहता है, तो द्वितीय निविदादाता द्वारा 15 दिवस के भीतर निविदा की संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। द्वितीय निविदादाता 15 दिवस के भीतर संपूर्ण निविदा राशि जमा करने में असफल रहता है, तो तृतीय निविदादाता द्वारा 15 दिवस के भीतर निविदा की संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होगा। क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय निविदादाता द्वारा उपरोक्तानुसार 15 दिवस में निविदा राशि जमा न करने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
23. उच्चतम निविदा स्वीकृत होने के उपरांत यदि निविदाकार द्वारा निविदा की राशि 15 दिवस के भीतर जमा नहीं की जाती है तो उनके द्वारा जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
24. स्वीकृत निविदा की राशि जमा करने के बाद ही वाहन उठाने की अनुमति दी जावेगी।
25. अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में आवेदकों को पृथक से सूचना दी जावेगी।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में अपर कलेक्टर जिला–मुंगेली का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक / स0क0 / नीलामी / 2020–21 / 1299 मुंगेली, दिनांक–12 / 10 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय, छत्तीसगढ़ दाऊ कल्याण सिंह भवन परिसर रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम पुराना डी0आर0डी0ए0 भवन कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला–मुंगेली (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
4. जिला परिवहन अधिकारी, जिला–मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।
5. जिला कोषालय अधिकारी, ज़िला–मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।
6. अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग विद्युत / यांत्रिकी को सूचनार्थ।
7. एन.आई.सी. जिला–मुंगेली को मुंगेली जिले के वेबसाईट में अपलोड करने बाबत्।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

Scanned with CamScanner